राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.1(6)न्याय/2019 जयपुर, दिनांक 22-10-19

रजिस्ट्रार जनरल,
राजस्थान उच्च न्यायालय,
जोधपुर।

विषयः-नवसृजित् 6 अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय, संख्या-4 अलवर, संख्या-5 अलवर, संख्या-6 अलवर, संख्या-6 बीकानेर, संख्या-7 बीकानेर, संख्या-7 जोधपुर महानगर हेतु आवश्यक पद एवं बजट स्वीकृत करने बाबत्।

संदर्भः- इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22.10.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत् इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22.10.2019 द्वारा सृजित् 6 अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय, संख्या-4 अलवर, संख्या-5 अलवर, संख्या-6 अलवर, संख्या-6 बीकानेर, संख्या-7 बीकानेर, संख्या-7 जोधपुर महानगर हेतु निम्नलिखित पद सृजित् करने की माननीय राज्यपाल महोदय की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती हैः-

क्र. सं.	पदनाम	पे-स्केल	पे-बैण्ड/ पे-लेवल/ ग्रेड-पे	पे-मैट्रिक्स	पदों की संख्या (प्रति न्यायालय)	कुल पदों की संख्या
1	पीठासीन अधिकारी	-	-	-	1 पद	6
2	स्टेनोग्राफर ग्रेड-I	9300-34800	PB-II/L-12/4800	44300	1 पद	6
3	शेरिश्तेदार ग्रेड-I	9300-34800	PB-II/L-11/4200	37800	1 पद	6
4	रीडर ग्रेड-I	9300-34800	PB-II/L-11/4200	37800	1 पद	6
5	सूचना सहायक	5200-20200	PB-I/L-8/2800	26300	1 पद	6
6	लिपिक ग्रेड-II	5200-20200	PB-I/L-5/2400	20800	2 पद	12
6	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	5200-20200	PB-I/L-1/1700	17700	4 पद	24

C:\Users\user\Desktop\Pradeep LETTER doc\ANOOP Mourya Doc. 1306

	कुल				11 पद	66

उक्त न्यायालय हेतु नवीन आईटम्स के लिये निम्नानुसार राशि स्वीकृत की जाती है:-

क.सं.	नवीन आईटम्स (प्रति न्यायालय)	राशि (लाखों में)
1	फर्नीचर	3.00
2	टेलीफोन (1 कार्यालय एवं 1 निवास हेतु)	0.02
3	कम्प्यूटर एवं प्रिन्टर (3)	1.80
4	फोटो स्टेट मशीन	0.75
	योग	5.57

उक्त नवीन आईटम्स क्रय करते समय तत्संबंधी नियमों/ निर्धारित प्रक्रियाओं एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधानों की पूर्ण पालना अपने स्तर पर सुनिश्चित करावें।

उक्त न्यायालयों के भवन के निमार्ण के अतिरिक्त अन्य व्यय मय नवीन आईटम्स संबंधित बजट मद 2014-00-105-(19)-[01] (राज्य निधि) से वहन किया जायेगा। जिसमें वर्तमान में विभाग के पास पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध हैं।

न्यायालयों के भवन के लिए निर्माण का व्यय भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा 60:40 में वहन किया जाता है। अतः निर्माण हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव भेजते हुए केन्द्रीय हिस्से की राशि प्राप्त होने पर न्यायालयों के भवनों के निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता, तखमीना इत्यादि को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत किये जायेंगे।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी संख्या 101904394 दिनांक 21.10.2019 द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय

22.10.19

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1.महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर।
2.वित्त व्यय-5/वित्त बजट विभाग।
3.रजिस्ट्रार (प्रशासन) राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच, जयपुर।
4.रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.1(6)न्याय/2019 जयपुर, दिनांक 23-10-19

रजिस्ट्रार जनरल,
राजस्थान उच्च न्यायालय,
जोधपुर।

विषयः-नवसृजित् सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खेरलीमण्डी जिला अलवर हेतु आवश्यक पद एवं बजट स्वीकृत करने बाबत्।

संदर्भः- इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23.10.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत् इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23.10.2019 द्वारा सृजित् सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खेरलीमण्डी जिला अलवर हेतु निम्नलिखित पद सृजित् करने की माननीय राज्यपाल महोदय की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	पदनाम	पे-स्केल	पे-बैण्ड/ पे-लेवल/ ग्रेड-पे	पे-मैट्रिक्स	पदों की संख्या
1	पीठासीन अधिकारी	-	-	-	1 पद
2	स्टेनोग्राफर ग्रेड-III	9300-34800	PB-II/L-10/3600	33800	1 पद
3	शेरिश्तेदार ग्रेड-III	5200-20200	PB-II/L-8/2800	26300	1 पद
4	रीडर ग्रेड-III	5200-20200	PB-II/L-8/2800	26300	1 पद
6	लिपिक ग्रेड-II	5200-20200	PB-I/L-5/2400	20800	3 पद
6	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	5200-20200	PB-I/L-1/1700	17700	4 पद
	कुल				11 पद

उक्त न्यायालय हेतु नवीन आईटम्स के लिये निम्नानुसार राशि स्वीकृत की जाती है:-

क्र.सं.	नवीन आईटम्स (प्रति न्यायालय)	राशि (लाखों में)
1	फर्नीचर	3.00
2	टेलीफोन (1 कार्यालय एवं 1 निवास हेतु)	0.02
3	कम्प्यूटर एवं प्रिन्टर (3)	1.80
4	फोटो स्टेट मशीन	0.75
	योग	5.57

उक्त नवीन आईटम्स क्रय करते समय तत्संबंधी नियमों/निर्धारित प्रक्रियाओं एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधानों की पूर्ण पालना अपने स्तर पर सुनिश्चित करावें।

उक्त न्यायालय के भवन के निमार्ण के अतिरिक्त अन्य व्यय मय नवीन आईटम्स संबंधित बजट मद 2014-00-105-(03)-[01] (राज्य निधि) से वहन किया जायेगा। जिसमें वर्तमान में विभाग के पास पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध हैं।

न्यायालय के भवन के लिए निर्माण का व्यय भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा 60:40 में वहन किया जाता है। अतः निर्माण हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव भेजते हुए केन्द्रीय हिस्से की राशि प्राप्त होने पर न्यायालय के भवन के निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता, तखमीना इत्यादि को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत किये जायेंगे।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी संख्या 101904394 दिनांक 21.10.2019 द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय

23.10.19

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1.महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर।
2.वित्त व्यय-5/वित्त बजट विभाग।
3.रजिस्ट्रार (प्रशासन) राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच, जयपुर।
4.रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.1(6)न्याय/2019 जयपुर, दिनांक २३-१०-१९

रजिस्ट्रार जनरल,
राजस्थान उच्च न्यायालय,
जोधपुर।

विषयः-नवसृजित् 2 अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, संख्या-2 बालोतरा एवं संख्या-2 झालावाड़ हेतु आवश्यक पद एवं बजट स्वीकृत करने बाबत्।

संदर्भः- इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23.10.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत् इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23.10.2019 द्वारा सृजित् 2 अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, संख्या-2 बालोतरा एवं संख्या-2 झालावाड़ हेतु निम्नलिखित पद सृजित् करने की माननीय राज्यपाल महोदय की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती हैः-

क्र. सं.	पदनाम	पे-स्केल	पे-बैण्ड/ पे-लेवल/ ग्रेड-पे	पे-मैट्रिक्स	पदों की संख्या (प्रति न्यायालय)	कुल पदों की संख्या
1	पीठासीन अधिकारी	-	-	-	1 पद	2
2	स्टेनोग्राफर ग्रेड-I I	9300-34800	PB-II/L-11/4200	37800	1 पद	2
3	शेरिश्तेदार ग्रेड-I I	9300-34800	PB-II/L-10/3600	33800	1 पद	2
4	रीडर ग्रेड-I I	9300-34800	PB-II/L-10/3600	33800	1 पद	2
6	लिपिक ग्रेड-II	5200-20200	PB-I/L-5/2400	20800	2 पद	4
6	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	5200-20200	PB-I/L-1/1700	17700	2 पद	4
	कुल				8 पद	16

उक्त न्यायालयों हेतु नवीन आईटम्स के लिये निम्नानुसार राशि स्वीकृत की जाती हैः-

क्र.सं.	नवीन आईटम्स (प्रति न्यायालय)	राशि (लाखों में)
1	फर्नीचर	3.00
2	टेलीफोन (1 कार्यालय एवं 1 निवास हेतु)	0.02
3	कम्प्यूटर एवं प्रिन्टर (3)	1.80
4	फोटो स्टेट मशीन	0.75
	योग	5.57

उक्त नवीन आईटम्स क्रय करते समय तत्संबंधी नियमों/ निर्धारित प्रक्रियाओं एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधानों की पूर्ण पालना अपने स्तर पर सुनिश्चित करावें।

उक्त न्यायालयों के भवन के निमार्ण के अतिरिक्त अन्य व्यय मय नवीन आईटम्स संबंधित बजट मद 2014-00-105-(02)-00-[01] (राज्य निधि) से वहन किया जायेगा। जिसमें वर्तमान में विभाग के पास पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध हैं।

न्यायालयों के भवन के लिए निर्माण का व्यय भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा 60:40 में वहन किया जाता है। अतः निर्माण हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव भेजते हुए केन्द्रीय हिस्से की राशि प्राप्त होने पर न्यायालयों के भवनों के निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता, तखमीना इत्यादि को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत किये जायेंगे।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी संख्या 101904394 दिनांक 21.10.2019 द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय

23.10.19

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1.महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर।
2.वित्त व्यय-5/वित्त बजट विभाग।
3.रजिस्ट्रार (प्रशासन) राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच, जयपुर।
4.रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

A07 (Gen Sec)
A07 (Q-15)
A07 (SC)
AAO (Budget)
30/10/19

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.1(6)न्याय/2019 जयपुर, दिनांक 24-10-19

रजिस्ट्रार जनरल,
राजस्थान उच्च न्यायालय,
जोधपुर।

विषयः-नवसृजित् 6 पारिवारिक न्यायालय संख्या-2 अजमेर, संख्या-2 अलवर, संख्या-2 भरतपुर, संख्या-3 बीकानेर, संख्या-3 जोधपुर, संख्या-2 उदयपुर हेतु आवश्यक पद एवं बजट स्वीकृत करने बाबत्।

संदर्भः- इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24.10.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत् इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24.10.2019 द्वारा सृजित् 6 पारिवारिक न्यायालय संख्या-2 अजमेर, संख्या-2 अलवर, संख्या-2 भरतपुर, संख्या-3 बीकानेर, संख्या-3 जोधपुर, संख्या-2 उदयपुर हेतु निम्नलिखित पद सृजित् करने की माननीय राज्यपाल महोदय की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	पदनाम	पे-स्केल	पे-बैण्ड/ पे-लेवल/ ग्रेड-पे	पे-मैट्रिक्स	पदों की संख्या (प्रति न्यायालय)	कुल पदों की संख्या
1	पीठासीन अधिकारी	-	-	-	1 पद	6
2	सीनियर मुंसरिम	9300-34800	PB-II/L-14/5400	56100	1 पद	6
3	स्टेनोग्राफर ग्रेड-I	9300-34800	PB-II/L-12/4800	44300	1 पद	6
4	रीडर ग्रेड-I	9300-34800	PB-II/L-11/4200	37800	1 पद	6
5	कनिष्ठ लेखाकार	9300-34800	PB-II/L-10/3600	33800	1 पद	6
6	लिपिक ग्रेड-I	5200-20200	PB-I/L-8/2800	26300	1 पद	6
7	लिपिक ग्रेड-II	5200-20200	PB-I/L-5/2400	20800	4 पद	24

8	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	5200-20200	PB-I/L-1/1700	17700	4 पद	24
	कुल				14 पद	84

उक्त न्यायालय हेतु नवीन आईटम्स के लिये निम्नानुसार राशि स्वीकृत की जाती है:-

क.सं.	नवीन आईटम्स (प्रति न्यायालय)	राशि (लाखों में)
1	फर्नीचर	3.00
2	टेलीफोन (1 कार्यालय एवं 1 निवास हेतु)	0.02
3	कम्प्यूटर एवं प्रिन्टर (3)	1.80
4	फोटो स्टेट मशीन	0.75
	योग	5.57

उक्त नवीन आईटम्स क्रय करते समय तत्संबंधी नियमों/निर्धारित प्रकियाओं एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधानों की पूर्ण पालना अपने स्तर पर सुनिश्चित करावें।

उक्त न्यायालयों के भवन के निर्माण के अतिरिक्त अन्य व्यय मय नवीन आईटम्स संबंधित बजट मद 2014-00-117-(01)-[00] (राज्य निधि) से वहन किया जायेगा। जिसमें वर्तमान में विभाग के पास पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध हैं।

न्यायालयों के भवन के लिए निर्माण का व्यय भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा 60:40 में वहन किया जाता है। अतः निर्माण हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव भेजते हुए केन्द्रीय हिस्से की राशि प्राप्त होने पर न्यायालयों के भवनों के निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता, तखमीना इत्यादि को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत किये जायेंगे।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी संख्या 101904394 दिनांक 21.10.2019 द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय

25.10.19

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1.महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर।
2.वित्त व्यय-5/वित्त बजट विभाग।
3.रजिस्ट्रार (प्रशासन) राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच, जयपुर।
4.रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.1(6)न्याय/2019 जयपुर, दिनांक 23/10/19

रजिस्ट्रार जनरल,
राजस्थान उच्च न्यायालय,
जोधपुर।

विषयः-नवसृजित् विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट प्रकरण) न्यायालय, संख्या-4 भीलवाड़ा एवं संख्या-7 उदयपुर तथा विशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट प्रकरण) न्यायालय संख्या-9 एवं संख्या-10 जोधपुर महानगर हेतु आवश्यक पद एवं बजट स्वीकृत करने बाबत्।

संदर्भः- इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23.10.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत् इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23.10.2019 द्वारा सृजित् विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन. आई. एक्ट प्रकरण) न्यायालय, संख्या-4 भीलवाड़ा एवं संख्या-7 उदयपुर तथा विशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट प्रकरण) न्यायालय संख्या-9 एवं संख्या-10 जोधपुर महानगर हेतु निम्नलिखित पद सृजित् करने की माननीय राज्यपाल महोदय की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती हैः-

क्र. सं.	पदनाम	पे-स्केल	पे-बैण्ड/ पे-लेवल/ ग्रेड-पे	पे-मैट्रिक्स	पदों की संख्या (प्रति न्यायालय)	कुल पदों की संख्या
1	पीठासीन अधिकारी	-	-	-	1 पद	4
2	स्टेनोग्राफर ग्रेड-III	9300-34800	PB-II/L-10/3600	33800	1 पद	4
3	शेरिश्तेदार ग्रेड- III	5200-20200	PB-II/L-8/2800	26300	1 पद	4
4	रीडर ग्रेड-III	5200-20200	PB-II/L-8/2800	26300	1 पद	4
6	लिपिक ग्रेड-II	5200-20200	PB-I/L-5/2400	20800	3 पद	12
6	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	5200-20200	PB-I/L-1/1700	17700	2 पद	8
	कुल				9 पद	36

C:\Users\user\Desktop\Pradeep LETTER.doc \ANOOP Mourya Doc. 1314

उक्त न्यायालयों हेतु नवीन आईटम्स के लिये निम्नानुसार राशि स्वीकृत की जाती है:-

क.सं.	नवीन आईटम्स (प्रति न्यायालय)	राशि (लाखों में)
1	फर्नीचर	3.00
2	टेलीफोन (1 कार्यालय एवं 1 निवास हेतु)	0.02
3	कम्प्यूटर एवं प्रिन्टर (3)	1.80
4	फोटो स्टेट मशीन	0.75
	योग	5.57

उक्त नवीन आईटम्स क्रय करते समय तत्संबंधी नियमों/ निर्धारित प्रक्रियाओं एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधानों की पूर्ण पालना अपने स्तर पर सुनिश्चित करावें।

उक्त न्यायालयों के भवन के निमार्ण के अतिरिक्त अन्य व्यय मय नवीन आईटम्स संबंधित बजट मद 2014-00-105-(15)-00-[01] (राज्य निधि) से वहन किया जायेगा। जिसमें वर्तमान में विभाग के पास पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध हैं।

न्यायालयों के भवन के लिए निर्माण का व्यय भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा 60:40 में वहन किया जाता है। अतः निर्माण हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव भेजते हुए केन्द्रीय हिस्से की राशि प्राप्त होने पर न्यायालयों के भवनों के निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता, तखमीना इत्यादि को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत किये जायेंगे।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी संख्या 101904394 दिनांक 21.10.2019 द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय

23.10.19

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1.महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर।

2.वित्त व्यय-5/वित्त बजट विभाग।

3.रजिस्ट्रार (प्रशासन) राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच, जयपुर।

4.रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.1(6)न्याय/2019 जयपुर, दिनांक 23/10/19

रजिस्ट्रार जनरल,
राजस्थान उच्च न्यायालय,
जोधपुर।

विषयः–नवसृजित् 2 अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय, संख्या–4 कोटपूतली, जयपुर एवं संख्या–2 शाहपुरा, जयपुर हेतु आवश्यक पद एवं बजट स्वीकृत करने बाबत्।

संदर्भः– इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23.10.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत् इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23.10.2019 द्वारा सृजित् 2 अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय, संख्या–4 कोटपूतली, जयपुर एवं संख्या–2 शाहपुरा, जयपुर हेतु निम्नलिखित पद सृजित् करने की माननीय राज्यपाल महोदय की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती हैः–

क. सं.	पदनाम	पे–स्केल	पे–बैण्ड/ पे–लेवल/ ग्रेड–पे	पे–मैट्रिक्स	पदों की संख्या (प्रति न्यायालय)	कुल पदों की संख्या
1	पीठासीन अधिकारी	–	-	–	1 पद	2
2	स्टेनोग्राफर ग्रेड–I	9300–34800	PB-II/L-12/4800	44300	1 पद	2
3	शेरिश्तेदार ग्रेड–I	9300–34800	PB-II/L-11/4200	37800	1 पद	2
4	रीडर ग्रेड–I	9300–34800	PB-II/L-11/4200	37800	1 पद	2
5	सूचना सहायक	5200–20200	PB-I/L-8/2800	26300	1 पद	2
6	लिपिक ग्रेड–II	5200–20200	PB-I/L-5/2400	20800	5 पद	10
7	प्रोसेस सर्वर	5200–20200	PB-I/L-4/2000	19200	4 पद	8
6	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	5200–20200	PB-I/L-1/1700	17700	4 पद	8

	कुल				18 पद	36

उक्त न्यायालयों हेतु नवीन आईटम्स के लिये निम्नानुसार राशि स्वीकृत की जाती है:-

क्र.सं.	नवीन आईटम्स (प्रति न्यायालय)	राशि (लाखों में)
1	फर्नीचर	3.00
2	टेलीफोन (1 कार्यालय एवं 1 निवास हेतु)	0.02
3	कम्प्यूटर एवं प्रिन्टर (3)	1.80
4	फोटो स्टेट मशीन	0.75
	योग	5.57

उक्त नवीन आईटम्स क्रय करते समय तत्संबंधी नियमों/ निर्धारित प्रक्रियाओं एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधानों की पूर्ण पालना अपने स्तर पर सुनिश्चित करावें।

उक्त न्यायालयों के भवन के निमार्ण के अतिरिक्त अन्य व्यय मय नवीन आईटम्स संबंधित बजट मद 2014-00-105-(19)-00-[01] (राज्य निधि) से वहन किया जायेगा। जिसमें वर्तमान में विभाग के पास पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध हैं।

न्यायालयों के भवन के लिए निर्माण का व्यय भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा 60:40 में वहन किया जाता है। अतः निर्माण हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव भेजते हुए केन्द्रीय हिस्से की राशि प्राप्त होने पर न्यायालयों के भवनों के निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता, तखमीना इत्यादि को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत किये जायेंगे।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी संख्या 101904394 दिनांक 21.10.2019 द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय

23.10.19

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1.महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर।

2.वित्त व्यय-5/वित्त बजट विभाग।

3.रजिस्ट्रार (प्रशासन) राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच, जयपुर।

4.रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

Ao J (Gen Sec)
AOJ(RJS)
AOJ(SC)
AAO(Budget)
30/10/19

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.1(6)न्याय/2019 जयपुर, दिनांक २९-१०-१९

रजिस्ट्रार जनरल,
राजस्थान उच्च न्यायालय,
जोधपुर।

विषयः-नवसृजित् 9 वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश / अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या-2 ब्यावर(अजमेर), संख्या-3 बहरोड (अलवर) ., संख्या-2 तिजारा (अलवर), संख्या-2 राजगढ़ (अलवर), रामगढ़ (अलवर), भिवाड़ी (अलवर), संख्या-2 बाड़मेर, संख्या-2 कोटपूतली(जयपुर), दीगोद (कोटा) हेतु आवश्यक पद एवं बजट स्वीकृत करने बाबत्।

संदर्भः- इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24.10.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत् इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24.10.2019 द्वारा सृजित् 9 वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश / अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या-2 ब्यावर(अजमेर), संख्या-3 बहरोड (अलवर), संख्या-2 तिजारा (अलवर), संख्या-2 राजगढ़ (अलवर), रामगढ़ (अलवर), भिवाड़ी (अलवर), संख्या-2 बाड़मेर, संख्या-2 कोटपूतली(जयपुर), दीगोद (कोटा) हेतु निम्नलिखित पद सृजित् करने की माननीय राज्यपाल महोदय की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	पदनाम	पे-स्केल	पे-बैण्ड/ पे-लेवल/ ग्रेड-पे	पे-मैट्रिक्स	पदों की संख्या (प्रति न्यायालय)	कुल पदों की संख्या
1	पीठासीन अधिकारी	-	-	-	1 पद	9
2	स्टेनोग्राफर ग्रेड-II	9300-34800	PB-II/L-11/4200	37800	1 पद	9
3	शेरिश्तेदार ग्रेड-II	9300-34800	PB-II/L-10/3600	33800	1 पद	9
4	रीडर ग्रेड-II	9300-34800	PB-II/L-10/3600	33800	1 पद	9
6	लिपिक ग्रेड-II	5200-20200	PB-I/L-5/2400	20800	3 पद	27
6	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	5200-20200	PB-I/L-1/1700	17700	5 पद	45
	कुल				12 पद	108

उक्त न्यायालयों हेतु नवीन आईटम्स के लिये निम्नानुसार राशि स्वीकृत की जाती है:-

C:\Users\user\Desktop\Pradeep LETTER.doc \ANOOP Mourya Doc. 1322

क्र.सं.	नवीन आईटम्स (प्रति न्यायालय)	राशि (लाखों में)
1	फर्नीचर	3.00
2	टेलीफोन (1 कार्यालय एवं 1 निवास हेतु)	0.02
3	कम्प्यूटर एवं प्रिन्टर (3)	1.80
4	फोटो स्टेट मशीन	0.75
	योग	5.57

उक्त नवीन आईटम्स क्रय करते समय तत्संबंधी नियमों/ निर्धारित प्रक्रियाओं एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधानों की पूर्ण पालना अपने स्तर पर सुनिश्चित करावें।

उक्त न्यायालयों के भवन के निर्माण के अतिरिक्त अन्य व्यय मय नवीन आईटम्स संबंधित बजट मद 2014-00-105-(02)-00-[01] (राज्य निधि) से वहन किया जायेगा। जिसमें वर्तमान में विभाग के पास पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध हैं।

न्यायालयों के भवन के लिए निर्माण का व्यय भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा 60:40 में वहन किया जाता है। अतः निर्माण हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव भेजते हुए केन्द्रीय हिस्से की राशि प्राप्त होने पर न्यायालयों के भवनों के निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता, तखमीना इत्यादि को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत किये जायेंगे।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी संख्या 101904394 दिनांक 21.10.2019 द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय

24.10.19

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1.महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर।
2.वित्त व्यय-5/वित्त बजट विभाग।
3.रजिस्ट्रार (प्रशासन) राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच, जयपुर।
4.रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

10/7/19

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.1(6)न्याय/2019 जयपुर, दिनांक 22-10-19

रजिस्ट्रार जनरल,
राजस्थान उच्च न्यायालय,
जोधपुर।

विषयः-नवसृजित् विशिष्ठ न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) संख्या-2, उदयपुर हेतु आवश्यक पद एवं बजट स्वीकृत करने बाबत्।
संदर्भः- इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22.10.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत् इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22.10.2019 द्वारा सृजित् विशिष्ठ न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) संख्या-2, उदयपुर हेतु निम्नलिखित पद सृजित् करने हेतु माननीय राज्यपाल महोदय की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती हैः-

क्र. सं.	पदनाम	पे-स्केल	पे-बैण्ड/ पे-लेवल/ ग्रेड-पे	पे-मैट्रिक्स	पदों की संख्या
1	पीठासीन अधिकारी	-	-	-	1 पद
2	स्टेनोग्राफर ग्रेड-I	9300-34800	PB-II/L-12/4800	44300	1 पद
3	रीडर ग्रेड-I	9300-34800	PB-II/L-11/4200	37800	1 पद
4	लिपिक ग्रेड- I	5200-20200	PB-I/L-8/2800	26300	1 पद
5	लिपिक ग्रेड-II	5200-20200	PB-I/L-5/2400	20800	1 पद
6	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	5200-20200	PB-I/L-1/1700	17700	4 पद
	कुल				9 पद

उक्त न्यायालय हेतु नवीन आईटम्स के लिये निम्नानुसार राशि स्वीकृत की जाती हैः-

क्र.सं.	नवीन आईटम्स	राशि (लाखों में)
1	फर्नीचर	3.00
2	टेलीफोन (1 कार्यालय एवं 1 निवास हेतु)	0.02
3	कम्प्यूटर एवं प्रिन्टर (3)	1.80
4	फोटो स्टेट मशीन	0.75
	योग	5.57

उक्त नवीन आईटम्स क्रय करते समय तत्संबंधी नियमों/निर्धारित प्रक्रियाओं एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधानों की पूर्ण पालना अपने स्तर पर सुनिश्चित करावें।

उक्त न्यायालय के भवन के निमार्ण के अतिरिक्त अन्य व्यय मय नवीन आईटम्स संबंधित बजट मद 2014-00-105-(19)-[01] (राज्य निधि) से वहन किया जायेगा। जिसमें वर्तमान में विभाग के पास पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध हैं।

न्यायालय के भवन के लिए निर्माण का व्यय भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा 60:40 में वहन किया जाता है। अतः निर्माण हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव भेजते हुए केन्द्रीय हिस्से की राशि प्राप्त होने पर न्यायालय भवन के निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता, तखमीना इत्यादि को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत किये जायेंगे।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी संख्या 101904394 दिनांक 21.10.2019 द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय

22.10.19

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1.महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर।
2.वित्त व्यय-5/वित्त बजट विभाग।
3.रजिस्ट्रार (प्रशासन) राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच, जयपुर।
4.रक्षित पत्रावली।

22.10.19

संयुक्त शासन सचिव

MGJC
AOJ(SC)
AAO(Budget)
30/10/19

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.1(6)न्याय/2019 जयपुर, दिनांक 29-10-19

रजिस्ट्रार जनरल,
राजस्थान उच्च न्यायालय,
जोधपुर।

विषयः-नवसृजित् 2 अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या-5 व संख्या-6 अलवर हेतु आवश्यक पद एवं बजट स्वीकृत करने बाबत्।

संदर्भः- इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24.10.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत् इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24.10.2019 द्वारा सृजित् 2 अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या-5 व संख्या-6 अलवर हेतु निम्नलिखित पद सृजित् करने की माननीय राज्यपाल महोदय की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	पदनाम	पे-स्केल	पे-बैण्ड/ पे-लेवल/ ग्रेड-पे	पे-मैट्रिक्स	पदों की संख्या (प्रति न्यायालय)	कुल पदों की संख्या
1	पीठासीन अधिकारी	-	-	-	1 पद	2
2	स्टेनोग्राफर ग्रेड-III	9300-34800	PB-II/L-10/3600	33800	1 पद	2
3	शेरिश्तेदार ग्रेड-III	5200-20200	PB-II/L-8/2800	26300	1 पद	2
4	रीडर ग्रेड-III	5200-20200	PB-II/L-8/2800	26300	1 पद	2
6	लिपिक ग्रेड-II	5200-20200	PB-I/L-5/2400	20800	3 पद	6
6	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	5200-20200	PB-I/L-1/1700	17700	2 पद	4
	कुल				9 पद	18

उक्त न्यायालयों हेतु नवीन आईटम्स के लिये निम्नानुसार राशि स्वीकृत की जाती है:-

C:\Users\user\Desktop\Pradeep LETTER.doc \ANOOP Mourya Doc. 1320

क.सं.	नवीन आईटम्स (प्रति न्यायालय)	राशि (लाखों में)
1	फर्नीचर	3.00
2	टेलीफोन (1 कार्यालय एवं 1 निवास हेतु)	0.02
3	कम्प्यूटर एवं प्रिन्टर (3)	1.80
4	फोटो स्टेट मशीन	0.75
	योग	5.57

उक्त नवीन आईटम्स क्रय करते समय तत्संबंधी नियमों/ निर्धारित प्रक्रियाओं एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधानों की पूर्ण पालना अपने स्तर पर सुनिश्चित करावें।

उक्त न्यायालयों के भवन के निर्माण के अतिरिक्त अन्य व्यय मय नवीन आईटम्स संबंधित बजट मद 2014-00-105-(03)-00-[01] (राज्य निधि) से वहन किया जायेगा। जिसमें वर्तमान में विभाग के पास पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध हैं।

न्यायालयों के भवन के लिए निर्माण का व्यय भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा 60:40 में वहन किया जाता है। अतः निर्माण हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव भेजते हुए केन्द्रीय हिस्से की राशि प्राप्त होने पर न्यायालयों के भवनों के निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता, तखमीना इत्यादि को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत किये जायेंगे।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी संख्या 101904394 दिनांक 21.10.2019 द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय

24.10.19

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1.महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर।
2.वित्त व्यय-5/वित्त बजट विभाग।
3.रजिस्ट्रार (प्रशासन) राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच, जयपुर।
4.रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव